न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/180

काली बाई पत्नि रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम ढाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

——अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश जिला बून्दी, राज0।
2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
3. हनीफ आत्मज स्व0 कालू खॉ जाति मुसलमान
4. आबिद आत्मज स्व0 निसार जाति मुसलमान
5. हफीज आत्मज स्व0 निसार जाति मुसलमान
6. जमीला बैवा निसार जाति मुसलमान
7. फरजाना पुत्री स्व0 निसार पत्नि मोहम्मद शरीफ निवासीगण अलोद हाल निवास ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
8. प्रभूलाल आत्मज स्वर्गीय मान्या तहसील जाति कुम्हार निवासी ग्राम अलोद हाल निवास ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
9. रामकिशन आत्मज स्वर्गीय मान्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
10. धन्ना आत्मज स्वर्गीय मान्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री वहीद अहमद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 की ओर से।

अपील संख्या– 2024/318

1. हनीफ आत्मज स्व0 कालू खॉ जाति मुसलमान
2. आबिद आत्मज स्व0 निसार जाति मुसलमान

(3)

अपील संख्या 2024/180(कालीबाई बनाम सरकार, हनीफ)

एवं

अपील संख्या 2024/318(हनीफ बनाम कालीबाई)

3. हफीज आत्मज स्व0 निसार जाति मुसलमान
4. जमीला बैवा निसार जाति मुसलमान
5. फरजाना पुत्री स्व0 निसार पत्नि मोहम्मद शरीफ निवासीगण अलोद हाल निवास ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

——अपीलांटगण

बनाम

1. काली बाई पत्नि रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम ढाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश जिला बून्दी, राज0।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री वहीद अहमद, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 11.03.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त दोनो अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 254/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सबंधित होने तथा समान पक्षकार होने एवं एक ही निर्णय दिनांक के विरूद्ध प्रस्ततु होने से उक्त दोनो अपीलें इस एकल निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनो अपीलों के साथ संलग्न रहे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 (अपील संख्या 2024/180) ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त शीर्षक प्रकरण में दिनांक 14/05/1991 को तत्समयं वाद संख्या–116 सन् 1985 में सुनवाई के पश्चात् यह

4

निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी कि हाल खसरा संख्या–11 व 12 के पूर्व तथा बून्दी दबलाना रोड के मध्य की भूमि रकबा 15 बिस्वा को हाल खसरा संख्या–11 का ही भाग होना घोषित किया जाता हैं तथा सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार खसरा संख्या–11 की तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा सख्या 11 का कुल रकबा पूर्ववत् 03 बीघा 07 बिस्वा ही रहेगा। इस निर्णय एवं डिक्री की पालना की जाकर राजस्व नक्शे में तद् अनुसार तरमीम कर दी गई थी। दिनांक 21/07/2007 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा तत्कालीन खातेदार रामकिशन आ० शंकर गुर्जर निवासी ग्राम दाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ने भूमि खसरा संख्या 11 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा में से 16 बिस्वा, खसरा संख्या–791/12 रकबा 02 बीघा में से 07 बिस्वा कुल 1 बीघा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थी क्रम–4 श्रीमती काली बाई को बैचान करके कब्जा सम्भला दिया था और काली बाई का नाम जमाबंदी में खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया था। हनिफ आ० कालू खाँ, आबिद, हफिज पिसरान निसार, जमीला वैवा निसार एवं फर्जाना पुत्री निसार जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14/05/1991 के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी कोटा में अपील संख्या–366/2017 हनिफ बनाम–प्रभूलाल वगैरा प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थी क्रम–4 काली बाई पक्षकार नहीं बनाया तया निर्णय के 27 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील को दिनांक 31/01/2018 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित कर लिया। अब उक्त अपील के अपीलान्टस् वाद में अप्रार्थीगण हैं। अप्रार्थी क्रम–4 काली बाई को उक्त निर्णय की जानकारी मिलने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके दिनांक 09/10/2019 को पक्षकार बनाया गया तथा दिनांक 23/03/2022 को अप्रार्थी के बजाय श्रीमती काली बाई को प्रार्थी बनाने का आदेश पारित किया गया। उक्त वाद साक्ष्य प्रार्थी हेतु नीयत था। प्रार्थी काली बाई की और से दिनांक 22/06/2022 को मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। दिनांक 29/06/2022 को प्रार्थी काली बाई ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) व्य०प्र०स० इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अप्रार्थीगण 3 लगायत 7 ने अपने खाते की वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या–23 रकबा 0.1214 है0 में से 0.0809 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12/05/2022 द्वारा हरिसिंह आ० श्री रामसिंह गुर्जर निवासी बांगरा कोर्ट तहसील बयाना जिला भरतपुर को बैचान कर दिया हैं और इस वाद में इन अप्रार्थीगण ने खसरा संख्या–11 व 12 की पूर्वी तरफ की दबलाना बून्दी सड़क के मध्य की भूमि को ही खसरा संख्या–23 रकबा 15 बिस्वा होना प्रकट किया था, इस कारण इन अप्रार्थीगण को वाद से विलोपित कर दिया

जावें। अप्रार्थीगण ने दिनांक 13/07/2022 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर दिया था तथा बहस प्रार्थना पत्र के लिए दिनांक 13/07/2022 पेशी नीयत की गई थी। इसके पश्चात् दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 03/08/2022 की पेशी पर पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं की गई और आगामी पेशी दिनांक 17/08/2022 नीयत की गई।दिनांक 17/08/2022 को न्यायालय के समय समाप्त होने तक प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं हुई और आगामी पेशी दिनांक 14/09/2022 नीयत कर दी गई। दिनांक 08/09/2022 को अप्रार्थीगण ने गाँव में कहा की प्रार्थी काली बाई का दावा न्यायालय में खारीज हो गया हैं, तब उसी दिन न्यायालय में आकर ऑर्डरशीट की नकल प्राप्त की तो मालूम हुआ कि दिनांक 17/08/2022 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी काली बाई के अनपढ़ होने का नाजायज लाभ उठाकर निर्णय दिनांक 14/05/1991 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के प्रार्थना पत्र पर निशानी अंगुष्ठ करवा लिया हैं और न्यायालय में भी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका में लिखवा दिया हैं। इसी प्रकार दिनांक 18/08/2022 को न्यायालय की आदेशिका में तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्राथीनी द्वारा वाद विड्रो करने एवं कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् लिखवाकर निशानी अंगुष्ठ करवा दिया हैं तथा प्रार्थीनी का वाद खारीज करवा दिया हैं। दिनांक 17/08/2022 एवं दिनांक 18/08/2022 को प्रार्थीनी को धोखा देकर कपट पूर्वक उसकी जमीन हडपने की नीयत से अप्रार्थीगण 3 लगायत 7 एवं उनसे भूमि के क्रेता हरिसिंह आ० रामसिंह गुर्जर निवासी बांगरा कोट तहसील बयाना जिला भरतपुर तथा उसके लिए काम करने वाले व्यक्तियों ने षडयन्त्र पूर्वक प्रार्थीनी काली बाई की सहमति लिखवाकर राजस्व रेकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करने तथा वाद विड्रो करके खारीज करवाने का आदेश करवा दिया हैं। प्रार्थीनी एवं उसके परिजनों को दिनांक 17/08/2022 एवं दिनांक 18/08/2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही के बाबत् नहीं समझाया गया हैं और न ही बताया गया हैं। इस कार्यवाही के दौरान प्राथीनी काली बाई की और से कोई अभिभाषक भी उपस्थित नहीं था। इस कार्यवाही के दौरान काली बाई को धोखे में रखकर कपट पूर्वक वाद खारीज करवाया गया हैं। प्रार्थीनी को प्रथम बार दिनांक 08/09/2022 को अप्राथीगण द्वारा गाँव में कहने पर न्यायालय में आकर तलाश करने और नकल प्राप्त करने पर आदेश दिनांक 17/08/2022 एवं दिनांक 18/08/2022 का ज्ञान हुआ, इससे पूर्व प्राथीनी को उक्त कार्यवाही का ज्ञान नहीं था। उक्त कार्यवाही से काली बाई का वैधानिक अधिकार एवं सम्पत्ति नष्ट होने की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। प्रार्थीनी काली बाई को अधिकार प्राप्त

हैं कि दिनांक 17/08/2022 एवं दिनांक 18/08/2022 की न्यायालय की आदेशिका एवं कार्यवाही को रिकोल करके निरस्त किये जाने का न्यायालय से आदेश प्राप्त करें तथा इस वाद को गुणाव गुण पर सुना जाकर निर्णित किये जाने के लिए पुनः वाद दर्ज करने का आदेश प्राप्त करें। प्रार्थीया की और से दिनांक 30/09/2022 को वाद पुनः दर्ज किया जाकर विचारण किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं तथा प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पुनः दर्ज कर लिया गया है।. अप्राथर्थीगण वाद ग्रस्त कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने तथा भूखण्ड बनाकर अन्य व्यक्तियों को बैचान करने, भूमि का संपरिवर्तन करवाने तथा कृषि स्वरूप नष्ट करने पर आमादा हैं। मौके पर अप्रार्थीगण ने निर्माण सामग्री डाल दी हैं, यदि दौराने कार्यवाही अप्रार्थीगण ने भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट कर दिया तो भारी अपूर्णीय क्षति होगी। दौराने कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि का संपरिवर्तन नहीं करवाये, कृषि स्वरूप नष्ट नहीं करे तथा भूखण्ड बनाकर अथवा एक मुश्त भूमि किसी अन्य को रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करें। अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि भूमि खसरा संख्या–11 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी पर अतिक्रमण नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें, भूखण्ड नहीं बनावे, रहन, वैचान एवं भारग्रस्त नहीं करें तथा भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीया को प्रदान की जावें।

4. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2024 को उभयपक्षकारान को वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 813/11, 857/11, 78/11, 908/23, 814/12 वाके ग्राम डाबला के मोके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करने तथा रहन, बेचान व भारग्रस्त नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निर्णय पारित किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 से व्यथित होकर अपीलांट(अपील संख्या 2024/180) ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 में दिनांक 26.12.2023 को जारी रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं

करने की निषेधाज्ञा से मुक्त किये जाने का आदेश निरस्त किए जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष आदेश को यथावत रखते हुए अपील विषयक भूमि रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं किये जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी किये जाने का निवेदन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 से व्यथित होकर अपीलांट(अपील संख्या 2024/318) ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 में अपीलांट के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 908/23 वाके ग्राम डाबला पटवार क्षेत्र अणदगंज की मौके की यथा स्थिति बनाए रखने, कोई निर्माण कार्य नहीं करने एवं अन्य न्यायोचित सहायता उपलब्ध करवाने बाबत रेस्पोडेन्टगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

7. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अपील संख्या 2024/180 अंदर मियाद तथा अपील संख्या 2024/318 मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 2024/180 अंदर मियाद तथा अपील संख्या 2024/318 सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में अपील संख्या 2024/180 में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपील संख्या 2024/318 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिक्ताओं की बहस सुनी गई।

8. अपील संख्या 2024/318 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.2024 की जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा निर्णय की नकल हेतु दिनांक 10.07.2024 को आवेदन किया था जिसके निर्णय की नकल दिनांक 11.07.2024 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 148क

(8)

अपील संख्या 2024/180(कालीबाई बनाम सरकार, हनीफ)

एवं

अपील संख्या 2024/318(हनीफ बनाम कालीबाई)

जाब्ता दीवानी के तहत केविएट हेतु पेश किया था जिसमें कालीबाई द्वारा श्रीमान के न्यायालय में आदेश दिनांक 27.06.2024 की अपील पेश करने पर प्रार्थीगण को माह अक्टूबर 2024 में उक्त अपील के नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थीगण की ओर से अन्दर अवधि उक्त अपील पेश की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की। देरी को माफ नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए न्याय हित में देरी को माफ किया जाना प्रार्थनीय है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

9. अपील संख्या 2024/180 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र न्यायालय की डिक्री दिनांक 14/05/1991 जिसकी पालना में राजस्व नक्शे में की गई तरमीम तथा रेस्पोडेन्ट क्रम–3 लगायत 7 द्वारा पंजीकृत करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 12/05/2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि रेस्पोडेन्टस् ने विक्रय पत्र दिनांक 22/05/2022 में अपीलान्ट के खाते व कब्जे की भूमि को वैचान करना चतुर्सीमा के अनुसार प्रमाणित हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को रहन, वैचान से मुक्त करके कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं। यदि वाद विषयक भूमि को रहन, वैचान करने की अनुमति प्रदान की गई तो वाद निष्फल हो जायेगा और अपीलान्ट को भारी अपूर्णीय क्षति होगी।. अधीनस्थ न्यायालय ने रिकोर्डेड खातेदार को भूमि रहन, वैचान से रोकने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं माना हैं किन्तु प्रकरण में यह तथ्य भली–भांति प्रकट हैं कि क्रेता ने विक्रय पत्र में अपीलान्ट के खाते की भूमि की चतुर्सीमा अंकित कर दी हैं। अपीलान्ट के पक्ष में वाद ग्रस्त भूमि के बाबत् प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन का भार एवं अपूर्णीय क्षति प्रमाणित होने के बावजूद अधीनस्य न्यायालय ने भूमि को रहन, वैचान करने से रोकने का आदेश पारित नहीं किया है, जबकि वाद ग्रस्त अचल सम्पत्ति की वाद प्रस्तुती तिथि की स्थिति सुरक्षित एवं यथावत् बनाये रखना न्यायोचित हैं। भूमि को रहन, वैचान करने की अनुमति प्रदान करने से वाद बहुलता उत्पन्न होगी और मौके पर स्थिति परिवर्तित होने की आशंका उत्पन्न हो जायेगी। सम्भावित क्रेता अपीलान्ट के खाते की भूमि पर कब्जा करने को अग्रसर होगें, जिससे शांति भंग होगी।. रेस्पोडेन्ट क्रम–4 लगायत 10 मूल वाद में वादी थे, इस कारण उन्हे रेस्पोडेन्ट बनाया गया हैं। यद्यपि रेस्पोडेन्ट क्रम–8 लगायत 10 ने भूमि का

कार्यवाई किए जाने का आदेश दिया था। काली बाई द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय

वैचान कर दिया हैं और उनका अपील विषयक भूमि पर कोई स्वत्व एवं कब्जा शेष नहीं रहा हैं। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27/06/2024 में दिनांक 26/12/2023 को जारी रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करने की निषेधाज्ञा से मुक्त किये जाने का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के शेष आदेश को यथावत् रखते हुऐ अपील विषयक भूमि रहन, बैचान एवं भारग्रस्त नहीं किये जाने बाबत् भी अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता अपीलान्ट को प्रदान की जाने का निवेदन किया।

10. अपील संख्या 2024/318 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा दिनांक 27–06–2024 को आदेश पारित कर भूमि खसरा संख्या 813/11, 857/11, 78/11, 908/3, 814/12 के सम्बन्ध में मौके की यथा स्थिति बनाये रखने, कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करने और न ही अन्य से करवाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में भूमि खसरा संख्या 908/23 के सम्बन्ध में पारित उक्त आदेश खारिज होने योग्य है। भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की भूमि कालू खाँ आत्मज हसन खाँ के खातेदारी की थी जिनके स्वर्गवास के उपरांत अपीलांट्स का नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि अपीलांट्स के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से उक्त भूमि से काली बाई का कोई सम्बन्ध नही होने के उपरांत भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट्स अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि विवादित भूमि के पूर्व खातेदारान् प्रभूलाल, रामकिशन व धन्ना ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छिपा कर वाद पेश किया था जिनके द्वारा विवादित भूमि को बैचान कर दिया बाद में उक्त भूमि काली बाई द्वारा क्रय करने पर काली बाई द्वारा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली के न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रभूलाल, रामकिशन व थन्ना के स्थान पर उसे वादीनी बनाने का निवेदन किया था जिस पर न्यायालय ने काली बाई को वादीनी बना कर राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा रिमाण्ड की गई अपील में काली बाई को वादी बना कर वाद की सुनवाई की जा रही थी। काली बाई द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली के न्यायालय में उपस्थित हो कर दिनांक 18–8–2022 को वाद को

विड्रो कर लिया था जो काली बाई द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो कर पीठासीन अधिकारी के समक्ष बाद विड्रो किया था। काली बाई उक्त प्रकरण में बार बार गलत तथ्य अंकित करके अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में अनावश्यक रूप से देरी करना चाहती है। इसलिए अधिनस्य न्यायालय को वावीनी काली बाई के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज करना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–06–2024 को काली बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली का आदेश दिनांक 27–06–2024 निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भूमि खसरा संख्या 11 के उत्तर पश्चिम में कालू आत्मज हसन खों के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा संख्या 23 की भूमि है जो खसरा संख्या 22 की पूर्वी मेड़ तथा खसरा संख्या 11 व 12 की पूर्वी मेड़ तथा आम सड़क के बीच में है। स्वर्गीय कालू खों के वारिसान अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत रामकिशन आत्मज शंकर, बजरंगलाल आत्मज भंवरलाल, प्रभूलाल आत्मज मान्या, बजरंगलाल आत्मज पन्नालाल तथा घासीलाल आत्मज नाथू मेघवाल के विरूद्ध श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली के न्यायालय में पेश किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 21–2–2011 को डिक्री कर वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया था कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम डाबला में वादीगण के शान्तिमय कब्जे में दखलदांजी न स्वयं करे न ही अन्यों से करवावें। काली बाई विक्रय पत्र की आड़ में अपीलांट के खातेदारी की भूमि पर कब्जा करना चाहती है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त डिक्री व निर्णय की नकल पेश करने के उपरांत भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विपरित जा कर कार्यवाही का 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट काली बाई द्वारा खसरा संख्या 23 रकबा 0.2114 हेक्टयर में से 0.0890 हैक्टयर भूमि को हरिसिंह आत्मज रामसिंह को बैचान करने का कथन अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया है परन्तु काली बाई द्वारा हरिसिंह को पक्षकार बनाये जाने के लिए अधिनस्थ न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय में काली बाई का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य था। स्वयं काली बाई द्वारा भी अपनी क्रय शुदा विवादित भूमि को बैचान किया जा चुका है। काली बाई द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में तथ्य छिपा कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा काली बाई का

अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली द्वारा भूमि खसरा संख्या 813/11, 857/11, 78/11, 908/23, 814/12 वाके ग्राम डाबला पटवार मण्डल अणदगंज के मौके की यथा स्थिति बनाए रखने एवं कोई निर्माण कार्य नही करने का जो आदेश दिया है उसमें भूमि खसरा संख्या 908/23 अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27–06–2024 में भूमि खसरा संख्या 908/23 को यथास्थिति के आदेश से मुक्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27–6–2024 से अपीलांट मौके पर अपनी भूमि के कानूनी रूप से उपयोग उपभोग करने के अधिकार से वंचित हो रहे है इसलिए आदेश दिनांक 27–6–2024 निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, हिण्डोली द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर गौर नही करके प्रार्थीया काली बाई का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय हिण्डोली के आदेश दिनांक 27–6–2024 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया तथा उक्त आदेश में अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 908/23 वाके ग्राम डाबला पटवार क्षेत्र अणदगंज के मौके की यथा स्थिति बनाए रखने, कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न ही अन्य से करवाने के दिए गए आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम अपील संख्या 2024/318 में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

(12)

अपील संख्या 2024/180(कालीबाई बनाम सरकार, हनीफ)

एवं

अपील संख्या 2024/318(हनीफ बनाम कालीबाई)

प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 10 (अपील संख्या 2024/180) द्वारा खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली की भूमि के सम्बंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के वाद सख्या 116/1985 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.1991 में खसरा नम्बर 11 व 12 के पूर्व की तथा बून्दी दबलाना रोड के मध्य की 15 बिस्वा खसरा नम्बर 11 का भाग होना घोषित करते हुए तरमीम की गई तथा खसरा संख्या 11 का कुल रकबा पूर्ववत 03 बीघा 07 बिस्वा घोषित किए जाने का आदेश अंकित है। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 अपीलांटगण (अपील संख्या 2024/318) का कथन है कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.1991 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2018 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा विवादित भूमि खसरा संख्या 11 के उत्तर पश्चिम में अपीलांटगण (अपील संख्या 2024/318) के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 15 बिस्वा स्थित है तथा प्रार्थीगण को अपीलांटगण (अपील संख्या 2024/318) के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 23 रकबा 15 बिस्वा भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 11 की भूमि पर हक अधिकारों को लेकर है। प्रार्थी अपीलांट एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 10 (अपील संख्या 2024/180) का कथन है कि प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 11 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 17 रकबा 12 बिस्वा भूमि उनके पिता मान्या के खाते की भूमि है जिसके हाल नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कायम किए गए है परन्तु गत खसरा नम्बर 17 की भूमि के हाल खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के राजस्व नक्शे में शामिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अपीलांट एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगायत 10 (अपील संख्या 2024/180) के कथनानुसार हाल खसरा नम्बर 23 रकबा 15 बिस्वा भूमि उनके खाते की खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि का ही भाग है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 23 की भूमि जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार अपीलांटगण(अपील संख्या 2024/318) की

अपील संख्या 2024/180(कालीबाई बनाम सरकार, हनीफ)

एवं

अपील संख्या 2024/318(हनीफ बनाम कालीबाई)

खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा की गलत तरमीम होना बताकर अपीलांटगण के खाते दर्ज प्रश्नगत खसरा नम्बर 23 की भूमि के सम्बंध में हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर 23 की भूमि अपीलांटगण (अपील संख्या 2024/318) की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हैं। अतः हमारे मत में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु उभयपक्षकारान के पक्ष मे समान रूप से निहित है। विवादित भूमि के सम्बंध में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में तय होना शेष है अतः हमारे मत में विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि वाद बहुलता नहीं बढ़े। अतः ऐसी स्थिति में उभयक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2024 में उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश अंकित किया है जो विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें (अपील संख्या 2024/180 व अपील संख्या 2024/318) खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें (अपील संख्या 2024/180 व अपील संख्या 2024/318) खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 254/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 यथावत रखा जाता है।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/3/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जाने का आदेश दिया था। काली बाई द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय